रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1872] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 4, 2015/भाद्र 13, 1937
No. 1872] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 2015/BHADRA 13, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2015

सं. 86/2015-सीमाशुल्क (गै.टे.)

का.आ. 2407(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड मैसर्स टिविट्रोन हेल्थकेयर प्रा. लि., जिनका पंजीकृत कार्यालय 15, IV स्ट्रीट, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018 है को अपर निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, मुम्बई जोनल यूनिट, मुम्बई द्वारा फा. सं. डीआरआई/एमजेडयू/सीआई-68/2013/8352 से 8355 दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए

(i) अपर या संयुक्त आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात) एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, मुम्बई;

(ii) अपर या संयुक्त आयुक्त, सीमा शुल्क (एयर पोर्ट एवं एयर कार्गो), चेन्नई।

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्द्वारा, संयुक्त या अपर आयुक्त, प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (III) का कार्यालय, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स-आयात, मुम्बई जोन-III को न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/140/2014-सीमा शुल्क IV]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2015

No. 86/2015-Customs (N.T.)

S.O. 2407(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Joint or Additional Commissioner, Office of the Principal Commissioner of Customs (III), Air Cargo Complex-Import, Mumbai Zone-III to act as a common adjudicating authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on:—

(i) the Additional or Joint Commissioner of Customs (Import), Air Cargo Complex, Mumbai;

(ii) the Additional or Joint Commissioner of Customs (Airport and Air Cargo), Chennai,

for the purposes of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s Trivitron Healthcare Pvt. Ltd., having registered office at # 15, IVth Street, Abhiramapuram, Chennai-600018 issued *vide*, Show Cause Notice F.No. DRI/MZU/CI-68/2013/8352 to 8355 dated the 29th September, 2014 by the Additional Director, Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai Zonal Unit, Mumbai.

[F. No. 437/140/2014-Cus. IV]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.